राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– परलीका

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस. )

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. काशीराम पुत्र फुसाराम जाति मेधवंशी निवासी बणी तहसील रानिया जिला सिरसा।

**वादी**

**बनाम**

1. फुसाराम पुत्र गुरूमुखराम जाति मेधवंशी निवासी बणी तहसील रानीया जिला सिरसा
2. असल प्रतिवादी
3. कौशल्या पुत्री फुसाराम पत्नि भजनलाल जाति मेधवंशी निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला हनुमानगढं
4. कुलदीप पुत्र माता कलावती पुत्री फुसाराम पत्नि गोपीराम नाबालिग जरिये सरक्षक पिता गोपीराम जाति मेधवंशी निवासी मिर्जावाली तहसील टिब्बी

**प्रतिवादीगण**

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :– 17.05.2018**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " ( न्याय आपके द्वार – 2018" ) में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 24/18 की कुल 9.6140हैक भूमि जो गुरमुखराम पुत्र सरदारा की खातेदारी भूमि थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके तीन पुत्रों पर औद हुई है अर्थात वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश वादी स्वय एवं उसका अधिवक्ता उपस्थित तथा निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 जानबुझ कर उपस्थित नही हो रहा है उसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हकों की धोषणा की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गुरदयाल पुत्र सरदारा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके तीनों पुत्रों के नाम सयुक्त खाता में दर्ज हुई है अर्थात सयुक्त खाता में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से वादी के दादा के फोत होने पर दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा होता है अर्थात वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बहिब के हकदार है जिसकी वादी न्यायालय से धोषणा करवा पाने का अधिकारी है ।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 24/18 में दर्ज कुल 9.6140हैक में सयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

कैम्प कोट– परलीका

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– परलीका

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

**अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. काशीराम पुत्र फुसाराम जाति मेधवंशी निवासी बणी तहसील रानिया जिला सिरसा।

**वादी**

**बनाम**

1 फुसाराम पुत्र गुरूमुखराम जाति मेधवंशी निवासी बणी तहसील रानीया जिला सिरसा
2. असल प्रतिवादी
3. कौशल्या पुत्री फुसाराम पत्नि भजनलाल जाति मेधवंशी निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला हनुमानगढं
4. कुलदीप पुत्र माता कलावती पुत्री फुसाराम पत्नि गोपीराम नाबालिग जरिये सरक्षक पिता गोपीराम जाति मेधवंशी निवासी मिर्जावाली तहसील टिब्बी

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक– 17.05.2018**

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है किरोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 24/18 में दर्ज कुल 9.6140हैक में सयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SA Saidi

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
कैम्प कोट– परलीका